



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 158-2021/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 2021 (ASVINA 5, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 सितम्बर, 2021

संख्या 3/1/2021-1एच0सी0.- चूंकि दिनांक 28 अगस्त, 2021 को बसताड़ा टोल प्लाजा, करनाल में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में सार्वजनिक महत्व से सम्बन्धित गंभीर विषयों और इसमें लगाए गए आरोप हरियाणा सरकार के ध्यान में आए हैं;

और चूंकि, राज्य सरकार की राय है कि दिनांक 28 अगस्त, 2021 को बसताड़ा टोल प्लाजा, करनाल में घटित घटनाओं तथा उससे आनुषंगिक या उससे सम्बन्धित सभी अन्य मामलों अर्थात् सार्वजनिक महत्व के इस परिनिश्चित मामले की जांच करवाने के प्रयोजनार्थ जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सोमनाथ अग्रवाल (सेवानिवृत्त) को संदर्भ के निम्नलिखित निबन्धनों पर अपनी अनुशंसा तथा निष्कर्ष देने के लिए जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं:-

- (क) दिनांक 28 अगस्त, 2021 को करनाल में घटित परिस्थितियों तथा पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई तथा बल प्रयोग करना ;
- (ख) उक्त परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ;
- (ग) दिनांक 28 अगस्त, 2021 को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में श्री आयुष सिन्हा, आई.ए.एस., उप-मण्डल मजिस्ट्रेट, करनाल की भूमिका की जांच करना ।

और चूंकि हरियाणा राज्य सरकार की राय है कि की जाने वाली जांच का स्वरूप तथा मामलों की अन्य परिस्थितियों के संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध आयोग को लागू होने चाहिए ।

इसलिए, अब जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि उक्त धारा की उप-धारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध आयोग को लागू होंगे ।

आयोग, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर जाँच पूरी करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आयोग, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) के उपबंधों के अधीन जाँच करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा।

जाँच आयोग की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें बाद में जारी की जाएंगी।

राजीव अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 25th September, 2021

No. 3/1/2021-1HC.— Whereas serious issues concerning public importance relating to events leading to the incidents at Bastara Toll Plaza in Karnal on the 28th August, 2021 and alleged illegalities therein have come to the notice of the Government of Haryana;

And whereas, the State Government is of the considered opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into this definite matter of public importance viz. events leading to the incidents at Bastara Toll Plaza in Karnal on the 28th August, 2021 and all other matters incidental thereto or connected therewith;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Central Act 60 of 1952), the Governor of Haryana hereby appoints Mr. Justice Som Nath Aggarwal (Retired) of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court as Commission of Inquiry to give its recommendation and findings on the following terms of reference:-

- (a) the circumstances leading up to and including the action by the Police at Karnal on 28th August, 2021 and the use of force against the demonstrators;
- (b) persons responsible for said situation;
- (c) role of Shri Ayush Sinha, IAS, Sub Divisional Magistrate, Karnal, in the action by the Police on 28th August, 2021.

And whereas the State Government of Haryana is of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 of the said Act should be made applicable to the Commission.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Central Act 60 of 1952), the Governor of Haryana hereby directs that the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) of the said section shall apply to the Commission.

The Commission shall complete the inquiry and submit the report to the State Government of Haryana within a period of One month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The Commission shall devise and specify its own procedure for conduct of the inquiry subject to provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Central Act 60 of 1952).

The terms and conditions of the appointment of the Commission of Inquiry shall be issued later on.

RAJEEV ARORA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.